पाठ 17

भारत एक कल्याणकारी राज्य

कल्याणकारी राज्य सरकार की ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा धन के उचित विवरण के सिद्धांतों पर पर आधारित होता है । यह ऐसे लोगों के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व पर केन्द्रित रहता है, जिन्हें अच्छा जीवन जीने के न्यूनतम साधन भी उपलब्धता नहीं हैं । इस व्यवस्था में नागरिकों के कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की होती है । स्वतंत्रता से पूर्व भारत एक कल्याणकारी राज्य नही था । ब्रिटिश शासन की रूचि लोगों के कल्याण व रक्षा के करने तथा बढ़ावा देने में होकर ब्रिटिश शासन के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता था । जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब हमारे सामने असंख्य समस्याएँ तथा चुनौतियाँ थी ।

सामाजिक तथा आर्थिक असमानता तथा समाज के कमजोर वर्ग जैसे महिलाएँ, दलित, बच्चें आदि जीवन यापन के बुनियादी साधनों से भी वंचित थे । संविधान निर्माता इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे । इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य हो । भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी भारत को एक "सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य" वर्णित किया गया है । संविधान में भारत के लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के सम्बन्ध में दो विशिष्ट प्रावधान किए गये है । एक मूल अधिकार के रूप में तथा दूसरा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में ।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व :- भारतीय संविधान में शामिल किये गये मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनीतिक अधिकार है । जिसको सही मायने में लागू कर दिया जाये तब भी भारत के लोगों को सामाजिक तथा अधिकारों के दिए बिना भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्यों को पूरा नही किया जा सकता हैं लेकिन संविधान निर्माता उस समय भारत राज्यों की कमजोरियों को भी जानते थे । उन्हें पता था कि भारत को सदियों के विदेशी शासन के बाद आजादी मिली थी । भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास का स्तर बड़ा ही निम्न था । उस स्थिति में यदि आर्थिक व सामाजिक अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया जाता तो भारत राज्य अपनी कुछ सीमाओं के कारण इनको लागू करने में सफल नही हो पाता । परन्तु इन अधिकारों को विशेष महत्व दिए जाने की भी आवश्यकता थी । संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के नाम से एक अलग भाग 4 जोडकर उस आवश्यकता की पूर्ति की गई | नीति निदेशक सिद्धांतो के विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है ।

नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार -

सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत - इन सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है जैसे -

राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए जीवन यापन के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना ।

न्यायसंगत वितरण किया जाना ।

पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना ।

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा

राज्य के उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धांत - गांधीवादी विचार अहिंसक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं । स्वराज्य (स्वशासन) सर्वोदय (सभी का कल्याण) स्वावलम्बन (आत्मनिर्भरता) आदि गांधीवादी विचारधारा के मूल सिद्धांत है - जैसे

राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक एव आर्थिक हितों को बढ़ावा देना ।

राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा ।

राज्य मादक पदार्थो तथा अन्य हानिकारक औषधियों आदि के सेवन को रोकने का प्रयास करेगा

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उधोगों को बढ़ावा देना ।

राज्य पशुधन की गुणवता सुधारने कदम उठाकर गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाएगा ।

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धांत :- जो हमारी विदेश नीति से सम्बन्धित मामलों में हमे दिशा निर्देश देते है ये है :-

राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा ।

राज्य अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रयास करेगा ।

राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और दायित्वों के प्रति आदरभाव विकसित करेगा ।

अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा अर्थात् पारस्परिक समझौतों द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा ।

विविध सिद्धांत :- ऐसे महत्वपूर्ण निदेशक तत्व जो महत्वपूर्ण है जो उपरोक्त श्रेणियों मे से किसी के अंतर्गत नही आते हैं । ये हैं -

राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीव का रक्षा का प्रयास करेगा ।

राज्य राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं के रखरखाव और संरक्षण के लिए कदम उठाएगा ।

राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा ।

राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार - दोनों का उद्देश्य एक ही है, परन्तु दोनों में कुछ मूलभूत अन्तर हैं ।

नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करा सकते । इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक या क़ानूनी बाध्यता नही हैं । मूल अधिकार के पीछे न्यायालय की शक्ति है । ये उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा संरक्षित है ।

ये सिद्धांत नीति निर्माण कार्यान्वयन के लिए राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं जब कि मूल अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किये गए हैं तथा राज्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाध्य हैं।

संविधान में निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के बाद स्थान दिया गया हैं । मूल अधिकारों का महत्व निदेशक सिद्धांतो से अधिक हैं । लेकिन इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मूल अधिकारों के पीछे होने के बाद भी निदेशक तत्वों की अवहेलना नही की जा सकती । इसके क्रियान्वयन से सरकार की विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ती है । ऐसा होने से सरकार को पुन:सत्ता में आने में मदद मिलती है । मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतन्त्र को मूर्त रूप देते हैं वही निदेशक सिद्धांत सामाजिक तथा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते है तथा असली ताकत सतर्क जनमत से उत्पन्न होती हैं ।

राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन - के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है -

रोजगार के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है ।

स्त्री एवं पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सम्बन्धी अधिनियम बनाया जा चुका है ।

ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है ये ग्राम स्तर पर कार्य कर रही हैं ।

बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित कर- 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कर इसे मूल अधिकार बनाया गया हैं ।

महिलाओं, बच्चों को शोषण से मुक्ति, गरीब, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं ।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम जैसे - टाइगर बचाओ प्रोजेक्ट, राइनो, हाथी आदि सम्बन्धित कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे हैं ।

लघु उधोगों की स्थापना की जा रही है । कर में छूट व संरक्षण दिया जा रहा हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्यायसंगत एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये जा रहे है ।

यह एक लगातार चलने वाली प्रकिया है । इस दिशा में किए गये प्रयासों के परिणाम भी आ रहे है, फिर भी कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें सुलझाना आवश्यक है ।